विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 196 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/52
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा, जिला बालोद
बी.पी. नं. **1002353996**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

अनावेदकगण

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के **Water Works** हेतु स्थापित 14 अश्वशक्ति के विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 25.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1002353996 से संबंधित ॅजमत ॅवतो विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक **CGRF/DURG**/2026/52 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

2. प्रकरण की कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें अनावेदक अनुपस्थित रहे तथा आवेदक की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।

प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग डौण्डी लोहारा उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण बिलिंग अभिलेख, विगत तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक, मीटर रीडिंग विवरण एवं मीटर परिवर्तन संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए जाएँ।

दिनांक 24.06.2026 को अनावेदकों द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बी.पी. क्रमांक 1002353996 के अंतर्गत 14 अश्वशक्ति के Water Works कनेक्शन पर पूर्व में L&T, S/L No- 032502, 10-60A, तीन फेज मीटर स्थापित था, जिसे कंपनी के नियमानुसार दिनांक 22.07.2025 को GENUS Smart Meter, S/L No- G4113891, 10-60A से प्रतिस्थापित किया गया। मीटर परिवर्तन के समय पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 361083 यूनिट तक बिलिंग की जा चुकी थी। पुराने मीटर में अधिकतम मांग (MD) एवं पावर फैक्टर (PF) दोनों का रिकॉर्ड उपलब्ध था। अभिलेखों के अनुसार पावर फैक्टर कम रहने के कारण उपभोक्ता को नियमानुसार कोई PF प्रोत्साहन (Rebate) देय नहीं था।

3. फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, मीटर डायरी, बिलिंग गणना पत्रक एवं पक्षकारों के कथनों के परीक्षण के उपरांत फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है—

1. मीटर डायरी एवं अधिकतम मांग (Maximum Demand) के अभिलेखों से स्पष्ट है कि प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ता का स्वीकृत भार पुनर्निर्धारित किया जाना आवश्यक था। अतः उपभोक्ता का स्वीकृत भार अप्रैल 2024 से 7 किलोवाट तथा जुलाई 2024 से 10 किलोवाट माना जाना उचित है। यदि उक्त अवधियों से पूर्व उपभोक्ता

से अधिकतम मांग के आधार पर Demand Surcharge की वसूली की गई है, तो वह टैरिफ प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है।

2. बिलिंग अभिलेखों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के पावर फैक्टर (च्थ्) के आधार पर की गई बिलिंग सामान्यतः नियमानुसार है। तथापि जनवरी 2025 के लिए मीटर डायरी में पावर फैक्टर की रीडिंग अंकित नहीं है, जबकि उस माह च्वूमत थ्बजवत ैनतबींतहम लगाया गया है। बिना PF रीडिंग के PF Surcharge लगाया जाना उचित नहीं है। अतः केवल जनवरी 2025 का Power Factor Surcharge निरस्त किया जाना उचित है।

3. पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर की रीडिंग तथा ऊर्जा खपत का परीक्षण करने पर किसी प्रकार की विसंगति अथवा मीटर की खराबी प्रमाणित नहीं हुई। अतः ऊर्जा खपत के आधार पर की गई बिलिंग सही एवं नियमानुसार पाई गई।

4. <u>आदेश</u>

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है–

1. उपभोक्ता का स्वीकृत भार प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार अप्रैल 2024 से 7 किलोवाट तथा जुलाई 2024 से 10 किलोवाट पुनर्निर्धारित किया जाए।

2. यदि स्वीकृत भार पुनर्निर्धारण से पूर्व की अवधि में उपभोक्ता से अधिकतम मांग के आधार पर Demand Surcharge वसूला गया है, तो उसे निरस्त कर संशोधित विद्युत देयक जारी किया जाए।

3. जनवरी 2025 में पावर फैक्टर रीडिंग उपलब्ध न होने के कारण उस माह लगाया गया Power Factor Surcharge निरस्त किया जाए तथा उसकी राशि उपभोक्ता के खाते में समायोजित की जाए।

4. मीटर रीडिंग एवं ऊर्जा खपत में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाए जाने से इस संबंध में कोई अतिरिक्त राहत प्रदान नहीं की जाती।

5. उपरोक्त मदों में यदि उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि की वसूली की गई है, तो उसे आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

6. संशोधित विद्युत देयक जारी करने एवं समस्त कार्यवाही आदेश की प्रति प्राप्त होने से 30 दिवस के भीतर पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

7. यह आदेश उपलब्ध अभिलेखों, पक्षकारों के कथनों तथा प्रचलित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश एवं लागू विनियमों के आधार पर पारित किया जाता है।

8. प्रकरण का निराकरण उपर्युक्त आदेशानुसार किया जाता है।

9. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक इस आदेश से असंतुष्ट हो, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग